ipac SIS

।। उद्घोष ।।

इन्द्रप्रस्थ पब्लिक अफेयर्स सेंटर एवं शिवि डेवलपमेंट सोसायटी, नई दिल्ली का आन्तरिक सूचना पत्र

समर शेष है/नहीं पाप का भागी केवल व्याध/जो तटस्थ हैं/मौन बने हैं/
समय लिखेगा उनका भी इतिहास! –राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर

वर्ष 6 अंक 1 *(दोहन उद्योग विशेष)* ***जनवरी 2014***

मार्गदर्शन *–नरेन्द्र कुमार*

सम्पादन *–लक्ष्मीनारायण*

सहयोग *–डॉ॰ फैजा अब्बासी*

हनुमान सहाय शर्मा

मुकेश कुमार चौधरी

तौर–तरीकों में हेर–फेर जरूरी

दो साल बाद, नई अर्थव्यवस्था पच्चीस बरस की हो जाएगी। तब–तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सहस्राब्दी लक्ष्य भी बुढा जाएंगे। इस बीच मुनाफाखोरी और भ्रष्टाचार का खुलकर उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण हुआ है। इसके कुछ नतीजे जागरूक नागरिकों, मीडिया और न्यायतन्त्र की सक्रियता से सामने आए है। ये नतीजे नई अर्थव्यवस्था की कोढ़ ही दिखा रहे हैं। जो सपने दिखाए गए थे, वे अभी सपने ही हैं , वे कोढ़ में खाज का काम कर रहे हैं।

देश का दोहन उद्योग भी, इस अर्थव्यवस्था के मजे ले रहा है। वैसे ही जैसे रोम जल रहा था और सम्राट नीरो बंसरी बजा रहा था। जब घर जल रहा है तो घर के चूहे कब तक खैर मनाएंगे। आग उन तक भी पहुँचेगी। इसलिए धरती को खोदते समय, जल को सोखते समय, वायु को प्रदूषित करते समय और लोगों को उजाड़ते व उनके श्रम का शोषण करते समय कायदे–कानूनों का, संधियों–समझौतों का, मानव अधिकारों और मानवीय मूल्यों का ध्यान रखना जरूरी है – उद्योगपतियों के लिए भी और नेताओं–नौकरशाहों के लिए भी। यह याद रखना जरूरी है कि धरती के पास सबकी जरूरतें पूरा करने का सामर्थ्य है पर किसी का लालच पूरा करने का नहीं। – **सम्पादक**

इन्द्रप्रस्थ पब्लिक अफेयर्स सेंटर, 256,नागिन लेक अपार्टमेंट,पीरागढी,नई दिल्ली–110087,भारत। फोन+91-11-25280065

फैक्स +91-11-45631448 E-mail: asiapublicaffairs@gmail.com और ipacasia@gmail.com ***www.ipacindia.org***

भारत में दोहन उद्योग

मुख्य खनिज	–	**89**
ईंधन	–	04
धातु	–	11
अधातु	–	52
लघु	–	22

विश्व में भारत का सर्वाधिक उत्पादन में स्थान

- कोयला, लिग्नाइट व बैंइराट्स – 3
- लौह अयस्क – 4
- बॉक्साइट व मैंगनीज अयस्क – 6
- अलूमिनियम – 10
- कच्चा इस्पात – 11

मुख्य खनिज

लौह अयस्क,बॉक्साइट, ताँबा, सीसा, जस्ता, चूने का पत्थर, डोलोमाइट्, सोना, क्रोमाइट अयस्क, मेग्नेसाइट, मैंगनीज अयस्क, रॉक फॉस्फेट, सिलिमेनाइट, गारनेट, क्यानाइट, हीरा, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस ।

पर्यावरण सेवाएं

पर्यावरणीय सेवाओं को चार तरह से देखा जा सकता है –

1. प्रावधानिक सेवाएं जैसे भोजन, ईंधन, जल, आदि।
2. नियन्त्रण सेवाएं जैसे बाढ–तूफान, आदि से संरक्षण और जलवायु संरक्षण।
3. सहायक सेवाएं जैसे चीजों का पुनर्चक्रण, मिट्टी उत्पादन, आदि।
4. सांस्कृतिक सेवाएं जैसे पर्यटन, तीर्थाटन मनोरंजन, आदि।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम से मध्य भारत में 3–4 करोड़ लोग विस्थापित हुए हैं इससे इन क्षेत्रों में माओवादी विचार धारा के फैलाव का रास्ता बना है।

(केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री जयराम रमेश का बयान 29 सितम्बर 2013 को मुंबई में आयोजित प्रेस कांÝस में)

विवादों की जड

तेल, गैस, खनिज, लकड़ी, जैसे फिर से पैदा न किए जा सकने वाले प्राकृतिक संसाधनों का दुनिया भर में मानव जीवन की जरूरतें पूरी करने और सुविधायें बढाने में बड़ा योगदान है लेकिन इनके दोहन में लगे उद्योग जब स्थानीय समुदायों के हितों की जान–बूझकर उपेक्षा करते हैं और सारे फायदों को अपनी तरफ ही मोड़ लेते हैं तो विवाद जन्म लेते हैं। अपनी जमीन, पानी, जंगल, जानवर, रोजी–रोटी, इज्जत, परिजन और रीति रिवाजों को लुटते देखकर, स्थानीय समुदायों और शुभचिन्तकों का नाराज होना स्वाभाविक है। यह नाराजगी दुनिया भर में प्रकट हो रही है। कई बार ऐसी नाराजगियों ने हिंसक रूप भी धारण किया है।

भारत जैसे देश में भी कुछ हिंसक आन्दोलन उभरे हैं तो बहुत से अहिंसक आन्दोलन भी पीड़ितों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं पर सरकारों पर इनका असर नहीं हो रहा है। एक तरफ दोहन उद्योग में 100 प्रतिशत सीधे विदेशी निवेश का दरवाजा खोला गया है तो दूसरी ओर पारदर्शिता और जन अधिकारों के हनन के लिए कानूनी वातावरण तैयार किया जा रहा है। जैव विविधता, सिंचाई, पशु चरागाह, जैसे नियमित कामों में स्थानीय लोगों को दंडित करने, विशेष औद्योगिक क्षेत्रों को विधायी और प्रशासनिक सीमाओं से मुक्त करने, परमाणु संयंत्रों को जिम्मेदारियों से मुक्त रखने जैसी सरकारी पहल सामान्य जन–जीवन को तो संकट में डालने वाली है ही, दोहन उद्योगों और सरकारों के लिए भी गले की घंटी बनने वाली है।

क्या सरकारों और दोहन उद्योगों को चिन्ता है कि अब तक लगभग 5 करोड़ लोग, विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिकार हो कर विस्थापित हो चुके हैं। इनमें ज्यादातर लोग किसान, मछुआरे, आदिवासी, स्वरोजगारी कारीगर और फैक्ट्री मजदूर हैं। आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या भी ढाई लाख से ऊपर पहुँच चुकी है। दोहन उद्योग और सरकारें सिर्फ इस बात से चिन्तित हैं कि उनको मन चीती परियोजनाएं आगे बढ़ने में बाधाएं आ रही हैं। उनकी लागत बढ रही है जो उनके मुनाफे को घटाने वाली है।

जरूरी है कि दोहन उद्योग और सरकारें, स्वयं संकट से बचने और जिनके हित पहले ही उन्होंने दाव पर लगा दिए, उन्हें राहत देने के लिए बचाव की गलियाँ न ढूढें बल्कि उस मुख्य रास्ते पर ही आएं जिससे स्थानीय लोग और उनके जीवन से जुड़े संसाधन उनके भी रह सकें।

खनन – विस्फोटक संयोग

केन्द्रीय खनन मंत्री श्री बी.के. हांडीक ने 8 मार्च 2010 को संसद में सूचना दी कि देश के 17 राज्यों में वर्ष 2006 से 2009 के बीच अवैध खनन के 1,61,040 मामले दर्ज किए गए।

यह याद रखने की बात है कि खनन का काम विस्फोटकों के बिना नहीं हो सकता। अवैध खनन में अवैध रूप से प्राप्त विस्फोटक काम में आते हैं और ये अवैध विस्फोटक, देश के अनेक भागों में सक्रिय आतंकवादियों तक भी पहुँचते हैं।

अवैध खनन के दर्ज मामले (2006–2009)

राज्य	कुल दर्ज मामले
आन्ध्रप्रदेश	39,670
छत्तीसगढ़	7402
गोआ	494
गुजरात	24,936
हरियाणा	3897
हिमाचलप्रदेश	2095
झारखंड	953
कर्नाटक	12,191
केरल	8204
मध्यप्रदेश	17,394
महाराष्ट्र	22,885
उड़ीसा	2756
पंजाब	367
राजस्थान	11,513
तमिलनाडु	5191
उत्तराखंड	191
प. बंगाल	901

ये रौशनी है हकीकत में एक छल लोगो

जैसे जल में झलकता हुआ महल लोगो

खुला रहस्य

यह खुला रहस्य है कि नदियों, तालाबों, चरागाहों, समुद्र तटों, पहाड़ी तलहटियों जैसे सार्वजनिक सम्पदा संसाधनों में रेत, वगैरह खोदने जैसी अवैध खनन गतिविधियाँ मजे से चलाई जा रही हैं। पिछले साल उत्तराखण्ड में आई भीषण बाढ़ से हुई जन और धन की भारी और भयावह हानि, इस बात का छोटा सा उदाहरण है कि मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के मूर्खतापूर्ण दोहन से कितना नुकसान हो रहा है। या तो ज्यादातर जगहों पर कानून के शासन की उपेक्षा की जा रही है या फिर वह माफिया गिरोहों के हाथों में है। अवैध खनन से न केवल पर्यावरणीय हानि हो रही है बल्कि टैक्सचोरी से सार्वजनिक कोष में भी सेंधमारी की जा रही है।

घटता भूजल स्तर

राजस्थान के जयपुर जिले की गोविन्दगढ़ तहसील के कालाडेरा गाँव में वर्ष 2000 में कोका कोला संयंत्र के काम शुरू करने के बाद में भूजल का स्तर प्रतिवर्ष लगभग 9 फीट की रफ्तार से गिरा है। राज्य सरकार के भूजल विभाग के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 1984–1999 के दौरान जल स्तर में गिरावट लगभग 2 फीट प्रतिवर्ष की दर से कुल 13 से 42 फीट थी जो वर्ष 2000–2011 के दौरान लगभग 9 फीट प्रतिवर्ष की दर से कुल 42 से 131 फीट तक गिर गई।

कोका कोला वाले भूजल में इस गिरावट के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानते और कहते हैं कि भूजल में गिरावट जिन कारणों से बढी है उनमें किसानों द्वारा मोटरों से भूजल दोहन जैसे कई कारण जिम्मेदार हैं जबकि किसानों का कहना है कि हम कोका कोला के मुकाबले ज्यादा जल दोहन नहीं करते फिर किसान तो अन्न और फल–सब्जियां उगा कर जनता को खिलाते हैं ये कोका कोला वाले क्या करते हैं?

देश में तेल

भारत में कच्चे तेल की पहली खोज सन् 1889 में असम के दिग्बोई कस्बे के पास की गई। तेल का पहला कुआ 1890 में तैयार हुआ। वर्ष 1899 में असम ऑयल कम्पनी बनाई गई जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय 7000 बैरल तेल प्रतिदिन उत्पादन कर रही थी। देश की आजादी के बाद भी देश के तेल क्षेत्र में लम्बे समय तक विदेशी कम्पनियों का बोलबाला रहा। फिर सरकारी करण/राष्ट्रीयकरण का दौर चला और अब फिर वर्ष 1991 से उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण का बोलबाला है जिसने तेल खुदाई के क्षेत्र में शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के द्वार खोले हैं। अभी देश में कुल तेल उत्पादन 715000 बैरल प्रतिदिन है जो कुल जरूरत का 25 प्रतिशत है। स्पष्ट है कि अभी भी देश की 75 प्रतिशत जरूरत तेल के आयात से पूरी की जारही है।

तेल खुदाई में लगी एक कम्पनी का दावा है कि यदि सरकार की तरफ से स्वीकृति मिल जाए तो वह देश की 40 प्रतिशत जरूरत की पूर्ति केवल राजस्थान से कर सकती है।

तेल का खेल

नागालैंड के पाँच जिलों में फैले सात क्षेत्रों में लगभग 600 मीट्रिक टन कच्चे तेल और 2 करोड़ टन हाइड्रोकार्बन के अदोहित भंडार हैं। इनकी कीमत हजारों करोड़ रुपये हो सकती है। ये भंडार बहुत से दावेदारों में विवाद का कारण बन गए हैं जिनमें भारत की केन्द्र सरकार और नागालैंड की राज्य सरकार सहित अनेक पक्ष शामिल हैं।

नागालैंड में तेल खनन के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस लिमिटेड को वर्ष 1963 में पेट्रोल दोहन लायसेंस (पीईएल) दिया था। तेल दोहन चलता रहा लेकिन वर्ष 1994 में नागालैंड सरकार ने तेल दोहन बंद करा दिया और दावा किया कि कानूनन (संविधान की धारा 371 ए) केन्द्र सरकार पेट्रोल दोहन लायसेंस जारी नहीं कर सकती।

यह विवाद इतना बढ गया है कि नागालैंड सरकार ने तेल खनन में लगी कम्पनियों से लायसेंस संबंधी समझौते के लिए मंत्रीमंडलीय उप समिति का गठन कर दिया। इतना ही नहीं 26 जुलाई 2010 को नागालैंड विधानसभा ने तेल व प्राकृतिक गैस संबंधी केंद्रीय कानून को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया है। उधर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री इस प्रस्ताव को वापस लेने की अपील कर रहे हैं।

नई राष्ट्रीय युवा नीति को मंजूरी

केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने राष्ट्रीय युवा नीति–2014 को मंजूरी दे दी है। यह राष्ट्रीय युवा नीति–2003 का स्थान लेगी।

नई राष्ट्रीय युवा नीति का उद्देश्य युवाओं को अपनी पूरी क्षमताओं को विकसित करने के अवसर उपलब्ध कराना है ताकि वे अपने देश को दुनिया में अपना समुचित स्थान पाने में योगदान दे सकें। इसमें युवाओं के लिए ग्यारह प्राथमिकता क्षेत्र चुने गए हैं। ये क्षेत्र हैं 1. शिक्षा 2. कौशल विकास व रोजगार 3. उद्यमिता 4. स्वास्थ्य व स्वस्थ जीवन पद्धति 5. खेल 6. सामाजिक मूल्यों को प्रोत्साहन, 7. समुदाय से जुड़ाव 8. राजनीति व शासन में सहभागिता 9. युवाओं से जुड़ाव 10. समावेश और 11. सामाजिक न्याय।

राष्ट्रीय युवा नीति से देश के 15–29 वर्ष के सभी युवा लाभान्वित हो सकेंगे जो देश की जनसंख्या का 27.5 प्रतिशत हैं।

मैंने आदिवासी क्षेत्रों में परियोजनाओं का लापरवाही पूर्ण क्रियान्वयन देखा है जहाँ किसी तरह की कोई गारंटी नहीं है, स्थानीय लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। दुनिया भर में दोहन उद्योग का मामला बड़ा और आदिवासियों के लिहाज से तत्काल ध्यान देने योग्य है।

–प्रो॰ एस.जेम्स अनया

(आदिवासियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष रेपोट्यर)

मेले में भटके होते तो कोई घर पहुँचा जाता,

हम घर में भटके हैं, कैसे ठौर–ठिकाने आएंगे।

मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा व रोजगार के अधिक अवसर चाहिए

मुस्लिम महिलाओं को प्रारम्भिक से उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए देश भर में सघन अभियान चलाने की आवश्यकता है – इस तथ्य को सभी राजनीतिक दलों के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्रों में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही मुस्लिम महिलाओं के लिए कौशल विकास तथा रोजगार के विशेष अवसर भी सृजित किये जाने जरूरी हैं।

29दिसम्बर 2013 को इंडियन सोशियल इंस्टीट्यूट, दिल्ली में सम्पन्न मुस्लिम महिला अधिकार परामर्श में यह निर्णय लिया गया। इस कार्यशाला में बिहार, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में महिला सुरक्षा और महिला अधिकारों पर कार्यरत संगठनों की लगभग पचास मुस्लिम महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया। परामर्श में मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा, जागरूकता, स्वास्थ्य, आर्थिक निर्भरता, सुरक्षा, राजनीतिक सहभागिता, सरकारी योजनाओं तक पहुँच, और मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रभाव, आदि विषयों पर चर्चाएं हुई। एक–दो महिलाएं तो अपनी प्रस्तुतियों के दौरान रो पड़ीं।

कार्यशाला के अन्त में गठित समिति मुस्लिम महिलाओं के मुद्दों के हल के लिए ज्ञापन तैयार करके, सभी राजनीतिक दलों को देगी। दिल्ली कार्यशाला को राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती सरोज खान, हिंदुस्तान टाइम्स अवार्ड से सम्मानित सुश्री रेखा चौहान, आईपैक की श्रीमती मितु हेनरी, दिल्ली की श्रीमती शहनाज अफजाल , राजस्थान विद्यापीठ की डॉ॰ वीणा द्विवेदी और एडवोकेट शाहिदा चौधरी का मार्गदर्शन मिला। महिला स्वरोजगार समिति, वाराणसी, सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एण्ड सोशियल वेलफेयर, जयपुर और इन्द्रप्रस्थ पब्लिक अफेयर्स सेंटर (आईपैक) दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में 13–14 मार्च 2014 को राजा तलाब, वाराणसी में राष्ट्रीय मुस्लिम महिला परामर्श आयोजित किया जाएगा।

पीड़ित से प्रतिरक्षक

शिवि डेवलपमेंट सोसायटी (एस डी एस) की ओर से अहिंसा और सत्याग्रह के सफल अन्वेषक महात्मा गाँधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी 2014 को इंडियन सोशियल इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली में पीड़ित से प्रतिरक्षक बनी महिलाओं के अनुभवों पर आधारित अध्ययन का विमोचन किया जाएगा।

इस अध्ययन में दक्षिण एशिया के पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल और भारत की महिला मानव अधिकार प्रतिरक्षकों के अनुभवों को शामिल किया गया है और उनमें आए बदलाव के प्रवाह को समझने की कोशिश की गई है।

प्रस्ताव 1325 पर संवाद

शिवि डेवलपमेंट सोसायटी (एस डी एस) और साथी संगठन 31 जनवरी 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव सं. 1325 पर संवाद करेंगे।

यह संवाद इंडियन सोशियल इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। संवाद में भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, जम्मू व कश्मीर और छत्तीसगढ़ जैसे आपदाग्रस्त राज्यों में महिलाओं की दशा और दिशा के साथ ही राष्ट्रीय कार्य योजना के प्रारूप पर भी बातचीत की जाएगी

पंखों से कुछ नहीं होता

हौसलों से उड़ान होती है

मंजिल उन्हीं को मिलती है

जिनके सपनों में जान होती है

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव–1325 पर आगे बढ़ना जरूरी

लाखों साल में आज की हालत तक पहुँची दुनिया को विनाशकारी युद्धों से बचाकर शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व का ग्रह बनाने के लिए गठित संयुक्त राष्ट्र संघ हमेशा शान्ति कायम रखने के लिए नए–नए रास्तों की खोज में रहता है। इनमें से एक रास्ता है – संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का प्रस्ताव संख्या 1325 जिसे 31 अक्टूबर 2000 को बड़े उत्साह से पारित किया गया।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव संख्या 1325 दुनिया की आधी आबादी, वस्तुत श्रेष्ठार्द्ध (BetterHalf) महिलाओं को आज के पिछड़ेपन से आगे बढाने के साथ, शान्ति और सुरक्षा का वातावरण तैयार करने का अभियान है। सुरक्षा परिषद् ने सर्व सम्मति से प्रस्ताव संख्या 1325 को स्वीकार करके महिलाओं पर सशस्त्र संघर्षों के भारी और बहुआयामी दुष्प्रभाव से मुकाबला करने का संकल्प प्रकट किया। इस प्रस्ताव के जरिए दुनिया भर के देशों ने संघर्षों की रोकथाम, संघर्षों के समाधान, शान्ति स्थापना और शान्तिपूर्ण स्थितियाँ बनाए रखने में महिलाओं के बहुमूल्य और बहुउपयोगी योगदान को भी महत्व देना स्वीकार किया। इसमें महिलाओं को शान्ति व सुरक्षा के समान व सम्पूर्ण सैनिक माना गया है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, प्रस्ताव संख्या 1325 पर अपने संकल्प को हमेशा याद रखने के लिए, हर साल, इसकी साल गिरह मनाती है और अपनी मंशा का नवीनीकरण करती है, उसको मजबूत करती है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव संख्या 1325 की भावना है कि –

- निर्णय प्रक्रिया के हर स्तर पर महिलाओं की सहभागिता और प्रतिनिधित्व बढाया जाए।
- संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं और बालिकाओं को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने का खासतौर से ध्यान रखा जाए।
- संघर्ष समाप्ति के बाद की प्रक्रियाओं में महिला समानता दृष्टिकोण को आगे रखा जाए।
- संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रमों, रिपोर्ट और अभियानों में महिला समानता दृष्टिकोण को याद रखा जाए।
- संयुक्त राष्ट्र संघ के शान्ति स्थापना प्रयासों में महिला समानता दृष्टिकोण और प्रशिक्षणों को प्रशिक्षणों को समुचित स्थान दिया जाए।

ये मोटे–मोटे प्रावधान हैं जो गंभीर और दूरगामी प्रभाव वाले हैं। ये ज्यादा संसाधनों की माँग नहीं करते फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सिर्फ एक चौथाई सदस्य देश भी अभी तक इस निर्णय को लागू करने के लिए अपनी राष्ट्रीय कार्य योजनाएं नहीं बना पाए हैं। जबकि राष्ट्रीय कार्य योजना, किसी देश की सरकार द्वारा इस प्रस्ताव के प्रति निष्ठा रखने को दोहराने जैसा ही है क्योंकि 198 देश इसे सहमति दे चुके हैं।

हम अपने देश की बात करें तो अब तक भारत सरकार ने अपनी राष्ट्रीय कार्य योजना नहीं बनाई है। हमारे देश में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। देश की राजधानी के हालात खराब हैं तो बाकी देश के हालात भी बेहतर नहीं है। देश के बहुत से इलाके तो खुद सरकार ने अशान्त घोषित किए हुए हैं।

अभी खत्म हुए साल 2013 के अन्त में भारत के केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश व मेघालय के कुछ क्षेत्रों सहित असम को ''डिस्टर्ब्ड एरिया'' घोषित किया है। यह कार्रवाई आर्म्ड फोर्सेज (स्पेशल पावर्स) एक्ट 1958 के अन्तर्गत की गई है। असम वर्ष 1990 से यह तमगा अपने सिर पर लगाए हुए है। सुश्री इरोम चानु शर्मिला पिछले एक दशक से अपनी जान की बाजी लगाकर, इसके विरोध की प्रतीक बनी हुई है। मणिपुर 55 वर्ष से ''डिस्टर्ब्ड एरिया'' बना हुआ है। त्रिपुरा वर्ष 1997 से ''डिस्टर्ब्ड एरिया'' है। पंजाब,जम्मू–कश्मीर इसके दर्द जानते हैं। आन्धप्रदेश–छत्तीसगढ़ भी जानते हैं।

स्पष्ट है कि AFSPA को तो तत्काल खत्म करना जरूरी है ही। देश की महिलाओं के सम्मान, समान अवसरों और उनके अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव संख्या 1325 की भावना के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्य योजना बनाना और उसे प्रभावी रूप से लागू करना जरूरी है। इसके लिए एक प्रारूप बनाने की जिम्मेदारी हम भी ले सकते हैं। हम पर यह अपनी तरफ से ली हुई जिम्मेदारी है भी। आइए, इस दिशा में हम आगे बढें।

दरख्त हैं तो परिन्दे नजर नहीं आते
जो मुस्तहक हैं वही हक से बेदखल लोगो

बवाना में सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र

बवाना जे.जे. कॉलोनी, दिल्ली में 9 जनवरी 2014 को सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र का शुभारम्भ किया गया।

स्थानीय महिलाओं की माँग पर, आईपैक (इन्द्रप्रस्थ पब्लिक अफेयर्स सेंटर) की ओर से यह केन्द्र शुरू किया गया है जिसमें 20 महिलाओं और 20 किशोरियों को दो बैच में चार माह का सिलाई प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभी शुरू हुए दोनों बैच का प्रशिक्षण समानांतर रूप से जनवरी से मई तक चलेगा। तीसरा और चौथा बैच जून से सितम्बर तक तय किया गया है।

प्रशिक्षण के लिए सिलाई मशीन, आदि उपकरण जुटाने और प्रशिक्षक का मानदेय देने की जिम्मेदारी, आईपैक की तरफ से उठाई जा रही है जबकि स्थान का प्रबन्ध कॉलोनीवासियों ने आपसी सहयोग से किया है।

निर्धारित योजना के अनुसार, प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए उन्हें ऐसे उपक्रमों से जोड़ा जाएगा जो उन्हें कच्चा माल उपलब्ध कराने तथा तैयार माल को बाजार में बेचने की जिम्मेदारी लेंगे।

रिट्रीट – 2013

27, 28 और 29 दिसम्बर को इंडियन सोशियल इंस्टीट्यूट दिल्ली में शिवि डेवलपमेंट सोसायटी और इन्द्रप्रस्थ पब्लिक अफेयर्स सेंटर का वार्षिक रिट्रीट 2013 सम्पन्न हुआ।

कार्यक्रम के पहले दिन संचालक मंडल सदस्यों, सलाहकारों और कार्यकर्त्ताओं ने मिलकर वर्ष 2013 के दौरान सम्पन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की। उत्तरपूर्वी राज्यों में निर्णय प्रक्रिया में महिला भागीदारी बढाने, एफ के स्टाफ एक्सचेंज कार्यक्रम, दिल्ली में कुपोषण अध्ययन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव सं. 1325 अभियान, राष्ट्रीय मानव अधिकार गठबन्धन, उद्घोष व महिला मानव अधिकार प्रतिरक्षक प्रशिक्षण मार्गदर्शिका के प्रकाशन, छत्तीसगढ महिला मानव अधिकार प्रतिरक्षक अभियान और बवाना स्वास्थ्य शिविरों के लिए क्रियान्वयन टीम को बधाई दी गई।

वर्ष 2014 में छत्तीसगढ के लिए महिला नीति का प्रारूप बनाने, अंग्रेजी में महिला मानव अधिकार प्रतिरक्षक प्रशिक्षण मैनुअल व दक्षिण एशिया में महिला मानव अधिकार प्रशिक्षकों के अनुभवों पर आधारित अध्ययन का प्रकाशन करने, हिंदी व अंग्रेजी न्यूज लेटर के प्रकाशन के निर्णय लिए गए। मानव अधिकार, महिला मानव अधिकार प्रतिरक्षक और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव संख्या 1325 अभियानों को भी आगे बढाने का निर्णय लिया गया।

दूसरे दिन शिवि मित्र मंच की मिलन गोष्ठी और 29 दिसम्बर को मुस्लिम महिला अधिकार परामर्श का आयोजन किया गया।

प्रयत्न का वार्षिक समारोह

प्रयत्न संस्था का वार्षिक समारोह 29, 30 व 31 दिसम्बर 2013 को धोलपुर (राजस्थान) प्रशिक्षण केन्द्र में सम्पन्न हुआ। इसमें राजस्थान के किशनगढ़ (अजमेर), शाहबाद (बारां), झालावाड़, भरतपुर, धोलपुर जिलों, सुन्दर नगर (उड़ीसा), प्रतापगढ व वाराणसी (उत्तरप्रदेश) और मुरैना (मध्यप्रदेश) के कार्यकर्त्ताओं ने भाग लिया।

इस दौरान प्रयत्न संस्था द्वारा बालश्रमिकों, स्कूली बालकों, निराश्रित बालक–बालिकाओं, ग्रामीण महिलाओं और महिला पंच–सरपंचों के सशक्तीकरण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के वार्षिक क्रियान्वयन पर प्रस्तुति व समीक्षा की गई। इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष श्री नरेन्द्र कुमार ने श्रेष्ठ कार्यकर्त्ता पुरस्कार प्रदान किए। पूर्व निदेशक श्री मनीष सिंह ने पाँच वर्ष से उत्कृष्ट कार्य कर रहे कार्यकर्त्ताओं को पुरस्कृत किया। मुख्य कार्यकारी श्री मलय कुमार ने विशिष्ट योगदान के लिए परामर्शदाताओं को सम्मान चिह्न भेंट किए। राष्ट्रीय मानव अधिकार गठबंधन के श्री लक्ष्मी नारायण ने नव वर्ष की शुभकामनाएं दीं। शिवि डेवलपमेंट सोसायटी से श्री हनुमान सहाय शर्मा और आईपैक से श्री मुकेश कुमार चौधरी भी समारोह में शामिल हुए।

मस्जिद सा खुला दरिया नीले आकाश तले

बोतल का जिन्न हुआ बहता हुआ पानी है

चिट्ठी आई है.....

- *उद्घोष का प्रवास विशेष अंक मिला। इसमें प्रवासी मजदूरों के बारे में, हमारे बीच हुए संवाद को स्थान मिला है। मेरे ताजा काम में देश के भीतर और बाहरी प्रवास के बारे में एडवोकेसी व लॉबी संबंधी बहुत से दस्तावेज पढने में आए हैं। प्रवास नीति की जरूरत और प्रवासी कामगारों की स्थानीय विकास योजना तथा कौशल विकास जैसे बिन्दुओं पर इस अंक में अच्छी तरह से प्रकाश डाला गया है। बधाई और शुभकामनाएं।*

  *– **शिवानी गौतम भारद्वाज,** दिल्ली*

- *आईपैक समाचार उद्घोष के ताजा अंक के लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। इसमें प्रवास से संबंधित कानूनी प्रावधानों की महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। आशा है – आईपैक और इसके साथी बदलाव लाने में कामयाब होंगे।*

  *– **प्रियंका चौबे** ,जबलपुर, मध्यप्रदेश*

- *उद्घोष मिला। सामग्री सूचनाप्रद है। इससे हम तरोताजा होते रहते हैं। कृपया प्रगति बनाए रखें।*

  –राजेश सिंह सिसोदिया

  नंगे पाँव सत्याग्रह, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़

- *उद्घोष के लिए धन्यवाद। यह सूचनाप्रद भी है और प्रेरणास्प्रद भी है।*

  – फादर जीवन केनेडी

  जन उन्नयन समिति, अगरतल्ला , त्रिपुरा ,

- *दिल्ली वाले भी हिंदी में लिखने लगे हैं। आश्चर्य जनक है।*

  – महेश शर्मा

  ग्राम विकास एवं पर्यावरण संस्थान, दौसा , राज॰

- *उद्घोष प्राप्त हुआ, धन्यवाद। इसका हर अंक विशेषांक के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं और हर अंक में वंचित समुदायों को प्रभावित करने वाले एक नए मुद्दे को स्थान दे रहे हैं– यह विशिष्ट प्रयास है। इसे पढने से सामाजिक काम में लगे लोगों और समूहों को अनेक आवश्यक जानकारियाँ एक ही जगह मिल रही हैं। महिला सुरक्षा, वैश्विक मानव अधिकार समीक्षा, विकास का अधिकार और प्रवासी कामगार, जैसे विषयों पर प्रकाशित, उद्घोष के विशेषांक बहुत अच्छी संदर्भ सामग्री के संग्रह हैं।*

  इलेक्ट्रोनिक रूप के साथ–साथ, इसकी छपी प्रति भी, इच्छुक साथियों को मिलती रहनी चाहिए। पृष्ठ संख्या बढाकर और सुधरी छपाई तकनीक का प्रयोगकर, इसे और आकर्षक स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो इसका लागत मूल्य भी वार्षिक शुल्क के रूप में लिया जा सकता है। इसमें छोटी–साथी संस्थाओं की गतिविधियों के समाचार और फोटो को भी स्थान दिया जाना जरूरी है।

  – मंजुराय

  सेंटर फॉर सोशियल डेवलपमेंट,जयपुर, राजस्थान

- *उद्घोष के लिए धन्यवाद, यह अदभुत है। शुभकामनाएं।*

  – सुशील कुमार

  पांडवनगर , गोल्डन थॉट ग्रुप, नई दिल्ली

- *उद्घोष के लिए धन्यवाद।*

  *– **नोनीबाला** , आई आर डी एस ओ, मणिपुर*

  *– **निनि मेहरोत्रा** , फैक्स, नई दिल्ली*

  *– **शिखा जैन** , नांगलोई, दिल्ली*

  *– **श्याम चन्द,** इनसेक, नेपाल*

  *– **किरीट राठौड़***

  एन सी डी एच आर, अहमदावाद, गुजरात

आपका मंच

उद्घोष आपका मंच है, आपका–हमारा संयुक्त स्वर है। उद्घोष में साथी संगठनों की गतिविधियों का, हमेशा स्वागत है। आप यथा समय अपनी व अपने संगठन की विगत एवं भावी गतिविधियों की सूचनाएं सहर्ष भेजें। उद्घोष में उन्हें यथोचित स्थान मिलेगा।

–सम्पादक